	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 30, मंगलवार, शाके 1944-मार्च 21, 2023 *Phalguna 30, Tuesday , Saka 1944- March 21, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त विभाग

(नियम) अनुभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 09, 2022

जी.एस.आर.150 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) (तीसरा संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-II का संशोधन.- (1) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 से संलग्न अनुसूची-II के अनुभाग-'क' में शीर्ष "अभियोजन विभाग" के अधीन उप-शीर्ष '(i) राजस्थान अभियोजन सेवा' के अधीन क्र.सं. 4 में आयी विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रं.सं. 4 और 5 प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

1	2	3	4	5	6	7	8
4	संयुक्त निदेशक	-	-	-	-	एल-20	
5	अतिरिक्त निदेशक	पीबी-3	15600-39100	21	8200	एल-21	

(2) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन)नियम, 2017 से संलग्न अनुसूची-II के अनुभाग-'क' में शीर्ष 'मोटर गैराज विभाग' के अधीन आये उप-शीर्ष '(i) राजस्थान मोटर गैराज सेवा' के अधीन क्रम सं. 3 पर निम्नलिखित नयी प्रविष्टि अंतः स्थापित की जायेगी, अर्थात.-

1	2	3	4	5	6	7	8
3	मुख्य अधीक्षक	-	-	-	-	एल-17	

[सं. एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017पार्ट]

राज्यपाल के आदेश से,

रोहित गुप्ता,

शासन सचिव, वित्त (बजट)।

FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)
Notification
Jaipur, December 09, 2023

G.S.R.150 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan is pleased to make the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) (Third amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of Schedule-II.- (1) the existing entry at S.No.4 in Section - 'A' of Schedule-II appended to the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, appearing under sub-heading **'(i) Rajasthan Prosecution Service'** and under heading **'PROSECUTION DEPARTMENT',** shall be substituted by the following S.No. 4 & 5, namely,.-

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Joint Director	-	-	-	-	L-20	
5	Additional Director	PB-3	15600-39100	21	8200	L-21	

(2) In Section - 'A' of Schedule-II appended to the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, appearing under sub-heading **'(i) Rajasthan Motor Garage Service'** and under heading **'MOTOR GARAGE DEPARTMENT',** the following new entry at S.No. 3 shall be inserted, namely,.-

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Chief Superintendent	-	-	-	-	L-17	

[No. F. 15(1) FD/Rules/2017 Pt.]
By order of the Governor,
Rohit Gupta,
Secretary to the Government
Finance (Budget).

Government Central Press, Jaipur.